पत्र सख्या-चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 1011024 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक जून, 22 2010

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/ डिप्टी कमिश्नर/
असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, Key word 1-47- Imp./Penalty
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091060 / वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 व परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091062 / वाणिज्य कर दिनांक 16-11-09 व परिपत्र सख्या-चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 0910098/ वाणिज्य कर, दिनांक 08-03-10 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा व्यापारियों द्वारा परिवहित किये जा रहे ऐसे माल की जॉच पर जिस पर वाणिज्य कर अधिनियम के साथ-साथ प्रवेशकर अधिनियम के अन्तर्गत भी करदेयता बनती है तो ऐसे प्रकरणों में पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यापारियों से अनियमितता पाये जाने पर परिपत्र संख्या -चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र 09-10 / 0910062/ वाणिज्य कर दिनांक 16/11/09 को दृष्टिगत रखते हुए जमानत की सम्मिलित धनराशि माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर ही जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुख्यालय को यह अवगत कराया गया है कि पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यापारियों से एक समान जमानत की धनराशि जमा कराये जाने का औचित्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरण में माल अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी द्वारा जमानत की धनराशि जमा कराकर कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट / प्रपत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है जबकि अपंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में माल अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी द्वारा ही जमानत जमा कराने के उपरान्त अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेना पड़ता है।

3- इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा परिवहित किये जा रहे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों में अनियमितता पाये जाने पर उस वस्तु पर जिस पर वाणिज्य कर अधिनियम के साथ-साथ प्रवेश कर की देयता बनती है,ऐसे प्रकरणों में दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक-पृथक रुप से जमानत की धनराशि माल के मूल्य 40 प्रतिशत के बराबर अर्थात् कुल धनराशि माल के मूल्य के 80 प्रतिशत के बराबर जमा करायी जायेगी।

19/6/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
7- चेक पोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉं अतिरिक्त।

(पी0सी0 तिवारी)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 ,वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।